जिले की छह विस सीटों के लिए आज थमेगा प्रचार

जमशेदपुर : विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कल से चुनाव प्रचार की शोर थम जाएगा. अपराह्न तीन बजे (ग्रामीण क्षेत्र) तथा शाम पांच बजे (शहरी क्षेत्र) में माईक से प्रचार नहीं हो सकेगा. साथ ही उसके बाद कोई सभा, जुलूस, रेली आदि नहीं होगी. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में विधानसभा निर्वाचन के लिए मतदान समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटा पूर्व प्रचार-प्रसार समाप्त करने एवं बाहरी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को पूर्वी सिंहभूम जिला छोड़ने का आदेश जिला निर्वाचन पदाधिकारी रविशंकर शुक्ला द्वारा जारी किया गया है. जिले में 7 दिसंबर को मतदान होना है. जिसमें बहरागोड़ा, घाटशिला, पोटका एवं जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में प्रचार का शोर अपराह्न तीन बजे ही थम जाएगा. उक्त तीनों विधानसभा क्षेत्रों में मतदान का समय सुबह 7 बजे से अपराह्न तीन बजे तक निर्धारित किया गया है. वहीं जिले की जमशेदपुर पूर्वी एवं जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा में चुनाव प्रचार अभियान शाम पांच बजे समाप्त हो जाएगा. उक्त दोनों विधानसभा क्षेत्रों में मतदान का समय में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक तय किया गया है. दूसरी ओर प्रचार थमने के साथ ही जिले के बाहर के निवासी जिले से बाहर चले जाएंगे. बिगत 11 नवम्बर से जिले में प्रचार अभियान चल रहा था. हालांकि 21 नवम्बर को नामांकन की वापसी एवं चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद ही प्रचार अभियान तेज पकड़ा था.

डीसी ने घर-घर जाकर लोगों से मतदान की अपील

■ टेल्को क्षेत्र में किया गया मतदाता पर्ची का वितरण

जमशेदपुर : विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से अनवरत प्रयास किया जा रहा है. इसी क्रम में आज टेल्को क्षेत्र में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त रविशंकर शुक्ला की निगरानी में बीएलओ द्वारा मतदाता पर्ची सह आमंत्रण कार्ड का वितरण किया गया. इस दौरान उपायुक्त ने घर-घर जाकर मतदाताओं से मुलाकात की एवं उन्हें मताधिकार के प्रयोग हेतु प्रेरित किया. उपायुक्त द्वारा मतदाताओं के निर्वाचन संबंधी सवालों का भी समाधान बताया गया. उपायुक्त ने मतदाताओं से कहा कि किसी तरह की चुनाव संबंधि परेशानी हो या, आपका मतदाता पर्ची आप तक नहीं पहुंचा है तो इसकी शिकायत 1950 पर कर सकते हैं. उपायुक्त ने मतदाताओं को क्यू मैनजमेंट एवं बूथ एप्प के बारे में भी अवगत कराया. मतदाताओं को बताया गया कि जमशेदपुर(पूर्वी) एवं जमशेदपुर(पश्चिमी) विधानसभा में इस बार बूथ एप्प का प्रयोग किया जा रहा है. जिससे मतदाताओं को अपनी सुविधानुसार बिना कतार में लगे मतदान करने की सुविधा होगी. बूथ एप्प के माध्यम से मतदाता कतार में लगे लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा सुविधानुसार मतदान केन्द्रों पर जाकर मतदान कर सकेंगे. मौके पर उपायुक्त द्वारा मतदाताओं से 2 दिसम्बर मतदान दिवस का मताधिकार के प्रयोग की अपील की गई ताकि एक सुदृढ़ लोकतंत्र के निर्माण में जन-जन की सहभागिता सुनिश्चित की जा सके.

आज अपराह्न तीन बजे से मतदान समाप्ति तक बंद रहेंगी शराब की दुकानें

सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने का निर्देश

जमशेदपुर : जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाची पदाधिकारी ने लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत जिले में मतदान शुरु होने से 48 घंटे पहले (प्रचार समाप्त होने के बाद एवं मतदान समाप्त होने तक) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की शराब की दुकानें बंद रखने का आदेश दिया है. साथ ही सुरक्षा बलों को सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने एवं सतत नजर रखने के लिए कहा है.

सिनेमा या टेलिविजन पर बंद रहेगा प्रचार-प्रसार

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 126 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार कोई भी चुनाव प्रचारे समाप्त होने के बाद सार्वजनिक सभा या जुलूस नहीं बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न ही उसे संबोधित करेगा. इस दौरान चलचित्र, टेलीविजन या वैसे अन्य माध्यमों से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार पूर्णत: वर्जित रहेगा. कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करते, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा.

बाहरी लोगों को आज जिला छोड़ने का आदेश

यदि कोई राजनीतिक व्यक्ति या पार्टी का कार्यकर्ता बाहर से चुनाव प्रचार के लिए आए हैं तथा वे जिले के मतदाता या अभ्यर्थी नहीं हैं तो वे कल (5 दिसंबर को अपराह्न 3 बजे के पहले) बहरागोड़ा, घाटशिला, पोटका तथा जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र से बाहर चले जाएंगे. जबकि जमशेदपुर पूर्वी एवं जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में शाम पांच बजे से पहले जिला की सीमा से बाहर चले जाएंगे. उक्त अवधि के पश्चात प्रचार करते हुए पाये जाने या किसी गेस्ट हाउस, होटल, प्लाजा आदि पर जांच के दौरान पाये जाने पर सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी.

RSD FINANCE LIMITED
CIN No.: L17222JH1963PLC013316
Regd. Off: Holding No – 4, The Hotel Alcor, Ramdas Bhatta, Bistupur, Jamshedpur - 831001
Website: www.rsdfinancelimited.com

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to the Regulation 29 read Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations), a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Saturday, December 14, 2019 to inter-alia consider and approve the Un- audited financial results for the quarter ended September 30, 2019.

Pursuant to Regulation 47(2) of the aforesaid Regulations, this intimation is also available at the website of BSE Limited (www.bseindia.com), where the securities of the company are listed and shall also be available in the website of the company www.rsdfinancelimited.com

For RSD Finance Ltd
Sd/-
Rajeev Singh Dugal
Managing Director
DIN - 00052037

Place : Jamshedpur
Dated : 03.12.2019

सशक्त मनोहरपुर, समृद्ध मनोहरपुर के लिए
आजसू पार्टी
हमारा प्रयास : सामाजिक न्याय और विकास

अबकी बार गाँव की सरकार
संकल्प पत्र

- आजसू पार्टी की पहली प्राथमिकता राज्य में ओबीसी को 27%, एसटी को 32% एवं एससी को 14% आरक्षण दिलाने की प्रतिबद्धता।
- चक्रधरपुर को जिला, मनोहरपुर को अनुमंडल एवं छोटा नागरा को प्रखंड का दर्जा दिलाना।
- विधानसभा के सभी गांवों में बिजलीकरण एवं गरीबों को मुफ्त बिजली मुहैया करवाना।
- मनोहरपुर विधानसभा अंतर्गत सुदूर कोल्हान एवं पोडाहाट क्षेत्र में वन ग्रामों तक सड़क एवं पुल-पुलिया का निर्माण करवाना।
- किसानों के लिए कृषि हेतु सिंचाई की व्यवस्था करवाना।
- गरीबी रेखा से नीचले स्तर के लोगों को लाल कार्ड/पीला कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन एवं आवास योजना का लाभ उपलब्ध करवाना।
- बेरोजगार युवक-युवतियों के पलायन रोकने हेतु उद्योगों को बढ़ावा एवं स्वरोजगार दिलाकर स्वावलंबी करवाना।
- विधानसभा अंतर्गत सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों व ब्लड बैंक की व्यवस्था करवाना।
- मनोहरपुर में महिला कॉलेज की स्थापना करवाना।

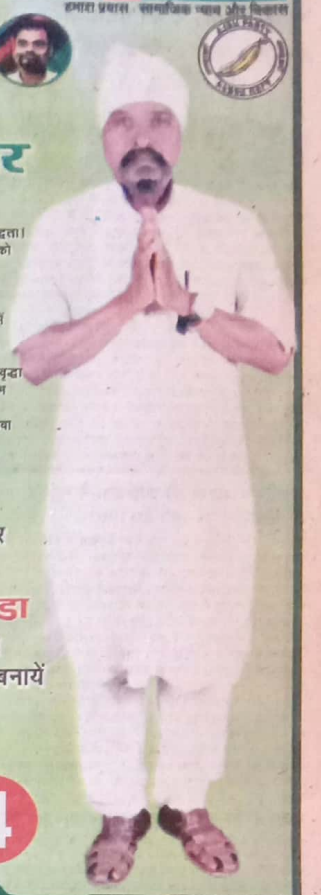

आजसू पार्टी के सुयोग्य, ईमानदार कर्मठ, संघर्षशील एवं लोकप्रिय
युवा प्रत्याशी बिरसा मुण्डा
को मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र से
भारी से भारी मतों के अंतर से विजयी बनायें

4 बिरसा मुण्डा

चुनाव चिन्ह कैला छाप
चुनाव चिन्ह क्र.सं. 4

निवेदक : केन्द्रीय कमिटी आजसू पार्टी

बदलाव के लिए आजसू पार्टी को वोट करें।

एक नया सवेरा

SVS
सबका विश्वास
(विवाद से विश्वास)
योजना, 2019
सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के लिए
कृषि में एक नई शुरुआत!

कर विवादों का पूर्ण समाधान
योजना 31 दिसंबर, 2019 तक प्रभावी

योजना के लाभ

- ब्याज और दंड से पूर्ण छूट
- अभियोजन से मुक्ति

मुकदमों, अपील, जाँच, अन्वेषण और लेखा-परीक्षण में देय कर के लंबित मामलों में:
(क) डयूटी ₹ 50 लाख तक — डयूटी का सिर्फ 30% भुगतान करें
(ख) डयूटी ₹ 50 लाख से अधिक — डयूटी का सिर्फ 50% भुगतान करें

बकाया टैक्स के देय कर मामलों में:
(क) डयूटी ₹ 50 लाखे तक — डयूटी का सिर्फ 40% भुगतान करें
(ख) डयूटी ₹ 50 लाखे से अधिक — डयूटी का सिर्फ 60% भुगतान करें

यदि आप स्वैच्छा से अपने किसी पिछले देय करों की घोषणा करते हैं तो आप सिर्फ देय राशि का भुगतान करें

इस योजना की जानकारी के लिए www.cbic-gst.gov.in पर जाए

वित्त मंत्रालय
भारत सरकार
www.cbic.gov.in

केन्द्रीय जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
आउटर सर्कल रोड, बिष्टुपुर, जमशेदपुर – 831001

फिर एक बार
डबल इंजन की सरकार
काम किया है, काम करेंगे

गणेश माहली
भाजपा प्रत्याशी
एसटी 51 सरायकेला विधानसभा क्षेत्र

विकास के अग्रणी युवा एवं योग्य भाजपा प्रत्याशी सरायकेला विधानसभा क्षेत्र के गणेश माहली को

ईवीएम संख्या 3 कमल छाप

पर बटन दबाकर भारी मतों के अंतर से
विजयी बनाएं

क्र.	नाम	चुनाव चिन्ह
1		
2		
3	गणेश माहली	
4		

कमल का बटन दबाओ
भाजपा को जिताओ...

Scanned by CamScanner